आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 /2025 अनवान बरकत खान बनाम मुरीद खां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.09.25	वकील अपीलांट उपस्थित। उक्त अपील राजस्थान राज0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ (जोधपुर) द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 51/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। अपीलाधीन आदेश में स्पष्टतः उल्लेखित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्रार्थी–अपीलांट के मूल प्रार्थना पत्र में कोई Cause of Action प्रकट नही होने से, मूल प्रार्थना पत्र को आदेश 7 नियम 11(क) सीपीसी के अधीन अस्वीकृत किया जाता है। इस स्थिति में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील औचित्यहीन प्रतीत होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। 24/9/25 (सुनिता चौधरी) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर